बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 97/आधु   पटना, दिनांक 17-1-18

सं0 सं0–05 / उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 05 / 2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव,
वाणिज्यकर विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0160–प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वैट/प्रवेश कर एवं जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रू0 3950.56 लाख (उनचालीस करोड़ पचास लाख छप्पन हजार) मात्र सब्सिडी राशि की स्वीकृति के आलोक में आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वैट/प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में अतिरिक्त कुल रू0 **3950.56** लाख **(उनचालीस करोड़ पचास लाख छप्पन हजार)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0160–प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद के अन्तर्गत विकलित होगा।

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017–18 के स्वीकृत्यादेश सं0 262 दिनांक 16.01.18 के आलोक में दिया जा रहा है। इसके सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही किया जाये तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाये :–

(क) योजना के स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई के राशि दूसरे इकाई में व्यय नहीं किया जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

कृ0 पृ0 उ0

7
I.T

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0 / बिल नं0 के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2016–17 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

(छ) मुख्य बजट शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0160–प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत वैट / प्रवेश कर एवं जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रू0 3950.56 लाख (उनचालीस करोड़ पचास लाख छप्पन हजार) रूपये मात्र के आवंटन के आलोक में उक्त स्वीकृत्यादेश / राज्यादेश में निहित निदेश के अनुरूप व्यय किया जाए।

विश्वासभाजन

17/1/18

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 97/अनु०   पटना, दिनांक 17/1/18

प्रतिलिपि :– सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/18

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 97/अनु०   पटना, दिनांक 17/1/18

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल / जिला पदाधिकारी, पटना / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम / निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा–05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/18

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।